<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),</u>

<u>श्रीकरणपुर</u>

पीठासीन अधिकारीः मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या :96/2018

1. रामपाल सिंह पुत्र नायब सिंह जाति जटसिख निवासी चक 20 एच कोटली तहसील श्री करणपुरजिला श्रीगंगानगर।

--वादी--

<u>बनाम</u>

1. नायब सिंह चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी चक 20 एच कोटली तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. बलविन्द्र सिंह पुत्र नायब सिंह जाति जटसिख निवासी चक 20 एच कोटली तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. जवन्ध सिंह पुत्र नायब सिंह जाति जटसिख निवासी चक 20 एच कोटली तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्री करणपुर ।

--प्रतिवादीगण--

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88, 91आरटीए</u>

--निर्णय-- **दिनांक :**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक20 एच की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 45/5 के मुरबा नम्बर 38 ,55,65 की कुल 9.121 हेक्टर नहरी भूमि मे वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 नायब सिह के नाम 8.173 है. नहरी भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 8.173 है. भूमि वादी व प्रतिवादीगण के परिवार की पैतृक भूमि है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पूर्वजो से प्राप्त हुई । जिसमे वादी का हक व हिस्सा जन्म है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 8.173 है. भूमि मे वादी प्रतिवादीगण के साथ 1/4 हिस्सा भुमि प्राप्त करने का अधिकारी है । वादी व प्रतिवादीगण ने आपस मे काश्त की सहूलियत के लिए वाहमी बटवारा किया हूआ हैं बटवारा के अनुसार चक 20 एच की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 45/5 के मुरबा नम्बर 65 के किला नम्बर 1 के 0.069 है. किला नम्बर 4,5,6,7 14,15,17 सालम ,किला नम्बर 16 के 0.190 है. किला नम्बर 24 के 0.013 है. कुल 2.043 है. नहरी भूमि वादी को प्राप्त हुई । जिस पर वादी आजतक लगातार शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है वादी उक्त 2.043 है. नहरी भूमि का विधिवत विभाजन करवाना चाहता है तथा वादी उक्त भूमि का विधिवत किलावाईज विभाजन करवा पाने का अधिकारी है प्रतिवादी संख्या 1 मुझ वादी को मेरे हिस्सा से महरूम करना चाहता है और मेरे हक व हिस्सा की भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहता है जिस से वादी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। राजस्थान सरकार द्वारा काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग क्रमांक प. 5(1) राज-6/97 /10 जयपुर दिनांक 08.09.1997 अधिसूचना जारी कर प्रावधान विहित किया गया है कि हिन्दू उतराधिकार विधि के अनुसार पुत्र अपने पिता के नाम की पैतृक भूमि मे पिता के जीवनकाल मे ही इन प्रावधानो के अन्तर्गत भूमि प्राप्त करने अधिकारी है।आज से दो रोज पूर्व वादी प्रतिवादी संख्या 1 से मिला और उसे कहा ि कवह उक्त भूमि में से मेरा हिस्सा मेरे नाम करवा देवे और उक्त भूमि को खुर्द बुर्द ना करे तो प्रतिवादी संख्या 1 स्पष्ट इन्कार करते हुए कहा कि मै तुम्हे तुम्हारे हिस्सा की भूमि नही दूंगा और तुम्हारे हिस्सा की भूमि अन्यत्र बेचान करके खुर्द बुर्द कर दूंगा और तुम्हारे हिस्सा की भूमि से तुम्हे महरूम कर दूगा,

यदि प्रतिवादी अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो वादी अपनी हिस्सा व कब्जा की भूमि से महरूम हो जाऐगा, जिससे वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। यही वाद कारण है। उक्त आराजी राजस्थान सरकार मे निहित हो चुकी है इसलिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को बतौर लैण्ड होल्डर दावा मे पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर,अन्दर मियाद पेश है। वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। अतः दावा निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे-चक 20 एच की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 45/5 के मुरबा नम्बर 65 के किला नम्बर 1 के 0.069 है. किला नम्बर 4,5,6,7 14,15,17 सालम ,किला नम्बर 16 के 0.190 है. किला नम्बर 24 के 0.013 है. कुल 2.043 है. नहरी भूमि कावादी को खातेदार घोषित किया जाकर अलग से खाता कायम किए जाने के आदेश दिए जावे एवं अन्य कोई अनुतोष हो तो वादी को दिलाया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।प्रतिवादी संख्या 1 ओर से अधिवक्ता श्री सतवीर कुमार ने वकालतनामा व सहमति का जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 बाद तामिल उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। राजपैरोकार के द्वारा जवाब स्टेट पेश किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 नायब सिंह द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 8.173 हैक्टर भूमि मे से वादी को 1/4 हिस्सा यानि 2.043 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई एतराज नहीं होगा।

बहस सुनी गई वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया गया कि जवाब दावा सहमति है। राजीनामा भी सहमति का है। इसलिये वादपत्र राजीनामा अनुसार डिक्री किया जावे। तो उन्हें कोई आपति नहीं है। इसलिए वादपत्र इसी अनुसार डिक्री किया जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी के द्वारा अपने वादपत्र में चक 20 एच की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 45/5 के की कुल 9. 121 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 8.173 हैक्टर भूमि में से अपने 1/4 हिस्सा की 2.043 हैक्टर नहरी भूमि का मालिक खातेदार घोषित किया जाकर इस भूमि का अलग से खाता कायम किए जाने बाबत निवेदन किया है। परन्तु वादी ने अपने वादपत्र के साथ भूमि पैतृक होने सम्बन्धी कोई दस्तावेज वारिसनामा इत्यादि पेश नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या 1 यदि भूमि देने को सहमत हैं। तो वह इस भूमि को दानपत्र या विक्रय पत्र से भूमि वादी को दे सकता है। इस प्रकार से वादपत्र डिक्री किए जाने से राजस्व हानि होने की संभावना है। वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य सबूतो के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य नहीं होने पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

{मूलचन्द लूणियाआर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2019.11.11 13:34:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: